[2018] 2 एस. सी. आर. 1015

भारत का राष्ट्रीय उच्च प्राधिकरण

वी.

एम/एस। प्रोग्रेसिववीआर (जेवी)

(2018 की सिविल अपील संख्या 458)

फरवरी 23,2018

[ए. के. सिकरी और अशोक भूषण, जे. जे.]

अनुबंध-एनएचएआई अनुबंध-मूल्य समायोजन सूत्र, उसमें संलग्न 'नोट'-उत्तरदाताओं-ठेकेदारों की व्याख्या

सड़क निर्माण के लिए अपीलार्थी-एनएचएआई द्वारा अनुबंध दिए गए

आदि-निविदा दस्तावेज में 'मूल्य समायोजन सूत्र' की परिकल्पना की गई है। अनुबंध के उपखंड 70.3 में 'समायोजन' के लिए प्रावधान किया गया है।

मूल्य समायोजन राशि की गणना के लिए 'सूत्र' जिसमें कार्य को सात घटकों में विभाजित किया गया है जिसके लिए विशिष्ट

मूल्य समायोजन को नियंत्रित करने के लिए प्रतिशत दिए गए थे-हालाँकि, ऐसे विशिष्ट प्रतिशत केवल 4 घटकों के लिए दिए गए थे, और

शेष तीन घटकों अर्थात बिटुमेन, सीमेंट और स्टील के लिए परिवर्तनीय प्रतिशत x%, y%, z% के रूप में दिए गए थे, जिन पर उपखंड 70.3 के उप-पैरा (xi) के बाद 'नोट' तैयार किया जाना था, जिसमें उल्लेख किया गया था कि x, y, z बिटुमेन की सामग्री की लागत का वास्तविक प्रतिशत था।

सीमेंट और स्टील क्रमशः जिनका उपयोग निष्पादन के लिए किया जाता था

कार्य-वास्तविक गणना के लिए आधार के रूप में पक्षों के बीच विवाद

बिटुमेन की सामग्री की लागत का प्रतिशत-एनएचएआई की याचिका कि आधार दर (यानी बिटुमेन जमा करने से 28 दिन पहले प्रचलित दर)

इन सामग्रियों की बोली) को लागू करते समय विचार किया जाना चाहिए

सूत्र-उत्तरदाताओं ने तर्क दिया कि यह उस विशेष महीने में प्रचलित दर है जो निर्धारण कारक होगी

विवाद समीक्षा बोर्ड (डी. आर. बी.) ने एन. एच. ए. आई. के पक्ष में फैसला सुनाया-प्रत्यर्थियों ने मध्यस्थता का आह्वान किया-मध्यस्थता न्यायाधिकरण ने दावे की अनुमति दी-एन. एच. ए. आई.

दायर आपत्तियाँ यू / धारा 34,1996 उच्च न्यायालय के समक्ष अधिनियम-उच्च न्यायालय द्वारा खारिज की गई आपत्तियाँ-अपील पर अभिनिर्धारित किया गयाः मूल्य से संबंधित खंड

समायोजन इंगित करता है कि कुछ घटक जो अंदर जाते हैं

श्रम घटक, सीमेंट घटक, इस्पात घटक, संयंत्र और मशीनरी और पुर्जों के घटक जैसी परियोजनाओं का निष्पादन,

बिटुमेन घटक आदि अपनी कीमत के अनुसार स्थिर नहीं रह सकते हैं।

संबंधित है-इस बात की संभावना है कि जिस तारीख से ठेकेदार द्वारा अपनी बोली में इन घटकों की कीमत उद्धृत की गई थी,

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अनुबंध के निष्पादन के दौरान-इस दिशा में, समायोजन

अनुबंध के निष्पादन के समय, लागत का निर्धारण करने के लिए सूत्र प्रदान किया गया है-इस समायोजन पर पहुंचना होगा,

ठेकेदार/बोलीदाता द्वारा निर्दिष्ट आधार मूल्य/दरों के साथ तुलना इस प्रकार, मूल्य समायोजन सूत्र को लागू करते समय

बिटुमेन के मूल्य समायोजन की गणना करते हुए, यह आधार दर है जिसे लागू किया जाना है न कि वर्तमान दर-मध्यस्थता और

सुलह अधिनियम, 1996। 34 .

अपीलों को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः 1.1 विशेष अनुप्रयोग की शर्तों का खंड 70

(अनुबंध का सी. ओ. पी. ए.) मूल्य समायोजन से संबंधित है। खंड 70.3 (v) 'बिटुमेन घटक के लिए समायोजन' से संबंधित है। इस खंड के अनुसार, में वृद्धि या कमी के लिए मूल्य समायोजन

बिटुमेन की लागत का भुगतान निम्नलिखित के अनुसार किया जाना है

सूत्रः

" Vb = 0.85 x Pb/100 x R1 x (Bi-Bo)/Bo "

वी. बी. महीने के दौरान काम की लागत में वृद्धि या कमी है।

बिटुमेन की दर में परिवर्तन के कारण विचाराधीन। पीबी काम के बिटुमेन घटक के प्रतिशत को दर्शाता है और आर, है

कार्य का कुल मूल्य। बीआई वर्तमान दर/लागत को दर्शाता है क्योंकि यह आईओसी डिपो में बिटुमेन का औसत आधिकारिक खुदरा मूल्य है।

बोली जमा करने से 28 दिन पहले बरौनी/हल्दिया, जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि यह आधार दर के बराबर है। इस प्रकार, जब इस सूत्र को अपना माना जाता है, तो बो स्पष्ट रूप से संदर्भित करता है आधार दर। [पारस 14-16] [1029-E-F, G-H; 1030-F-G, G]

1.2 पी. बी. = एक्स.% की गणना एन. एच. ए. आई. द्वारा निम्नलिखित रूप में की जाती हैः

गणितीय सूत्रः

" पी. बी. = माह x आधार के दौरान खपत बिटुमेन की मात्रा

बिटुमेन की दर x 100

x BOQ दरों के महीने के दौरान किया गया कुल कार्य।

[पैरा 18] [1031-बी-सी]

1.3 यह मुद्दा मूल्य समायोजन से संबंधित है और इस तरह का समायोजन विभिन्न घटकों के संबंध में किया जा सकता है जो

अनुबंध में उपयोग किया जाता है। संविदात्मक प्रावधान विशेष रूप से श्रम घटक, सीमेंट, इस्पात आदि के लिए समायोजन से संबंधित कार्य।

ये घटक संख्या में सात हैं जो भारत के राष्ट्रीय उच्च प्राधिकरण से गुजर सकते हैं।

एम/एस। प्रोग्रेसिववीआर (जेवी)

उस अवधि के दौरान मूल्य समायोजन जब अनुबंध प्रगति पर है, बाजार की स्थितियों के आधार पर, अर्थात्,

सीमेंट घटक, इस्पात घटक, संयंत्र और मशीनरी और पुर्जों के घटक, बिटुमेन घटक आदि जहां तक उनकी कीमत का संबंध है, स्थिर नहीं रह सकते हैं। ऐसी संभावना है कि जिस तारीख से इन घटकों की कीमत उद्धृत की गई थी ठेकेदार अपनी बोली में अनुबंध के निष्पादन के दौरान समय-समय पर उक्त मूल्य में वृद्धि या कमी कर सकता है। यही कारण है कि, मूल्य समायोजन से संबंधित खंड प्रदान किया गया है ताकि ठेकेदार को लागत में वृद्धि या गिरावट को प्रभावी बनाया जा सके। अनुबंध के निष्पादन के समय लागत का निर्धारण करने के लिए इस समायोजन सूत्र का प्रावधान किया गया है। स्वाभाविक रूप से जिस समायोजन पर पहुंचना है, वह ठेकेदार द्वारा बताए गए आधार मूल्य की तुलना में होना चाहिए। [पैरा 25,26] [1037-सी-ई, एफ-एच; 1038-ए-बी]

1.4 वर्तमान मामले में, सूत्र में इरादा भी कीमत पर पहुंचने के दौरान आधार लागत को ध्यान में रखना है।

समायोजन। खंड 70.3 (xi) विभिन्न घटकों पर प्रतिशत से संबंधित है जो मूल्य समायोजन को नियंत्रित करेगा। जहां तक श्रम, संयंत्र और मशीनरी और पुर्जों और पी. ओ. एल. (पेट्रोल, तेल और स्नेहक) का संबंध है, एक निश्चित प्रतिशत निर्धारित है, अर्थात क्रमशः 20 प्रतिशत, 20 प्रतिशत और 10 प्रतिशत। हालांकि, अन्य तीन घटकों के संबंध में, अर्थात् बिटुमेन, सीमेंट और स्टील परिवर्तनीय प्रतिशत का उल्लेख किया गया है जिसकी गणना की जानी है। सातवां घटक 'अन्य सामग्री' है। जहाँ तक यह

घटक का संबंध है, यह शेष प्रतिशत है, बिटुमेन, सीमेंट और स्टील के प्रतिशत पर पहुंचने के बाद, जैसा कि इसमें "50− (x + y + z)" प्रतिशत का उल्लेख है। इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि आम तौर पर x, y और z का संयुक्त प्रतिशत होना चाहिए

50 प्रतिशत से कम। हालाँकि, जब सूत्र पर काम करते समय वर्तमान लागत को ध्यान में रखा जाता है, तो x, y [2018] 2 S. C. R. का प्रतिशत।

और z 50 प्रतिशत से अधिक है जो अन्य सामग्रियों का प्रतिशत नकारात्मक बना देगा। इस तरह के नकारात्मक पहलू से बचना होगा। [पैरा 27,28] [1038-सी-एफ]

1.5 विशेष अनुप्रयोग की शर्तों (सी. ओ. पी. ए.) के उपखंड 70.3 (xi) के तहत नोट में "वास्तविक" शब्द निम्नलिखित से संबंधित है -

प्रतिशत और लागत के लिए नहीं। प्रतिशत x, y, z का उल्लेख यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया है कि ठेकेदार को मुआवजा दिया जाए

प्रत्येक अंतरिम भुगतान प्रमाणपत्र (आई. पी. सी.) में उपयोग की गई वास्तविक सामग्री पर वास्तविक रूप से। इसलिए, यह अधिक तार्किक और उचित लगता है। मूल्य समायोजन करते समय सामग्री की आधार लागत को अपनाना। जब विवाद उठाया गया था, अनुबंध में निहित प्रावधानों के अनुसार, पहली बार में, इसे विवाद समीक्षा बोर्ड (डी. आर. बी.) को भेजा गया था जो इस मुद्दे पर विस्तार से गया था। [पैरा 29,30] [1039-बी-सी]

1.6 इसके बाद डी. आर. बी. ने एक सूत्र तैयार किया। यह भी।

इंगित किया कि यदि सामग्री की वर्तमान लागत को अपनाया जाता है, तो ठेकेदार द्वारा दावा की गई आधार लागत के बजाय, मूल्य समायोजन किया जाएगा।

दो बार भुगतान करें। एक आधार दरों के बजाय वर्तमान दर के उपयोग के कारण प्रतिशत कारक (x, y और z) में वृद्धि के कारण और दूसरा मूल्य समायोजन कारक b1-bo/bo के अनुप्रयोग के कारण। इसने उदाहरण देकर यह भी प्रदर्शित किया कि जब आधार दर को अपनाया जाता है, तो मूल्य समायोजन प्रचलित मूल्य के साथ निकटवर्ती था जो ठेकेदार को वास्तविक रूप से क्षतिपूर्ति करता था। दूसरी ओर, वर्तमान दर को अपनाने पर, मूल्य समायोजन की गणना वृद्धि की राशि का लगभग तीन गुना थी

ठेकेदार द्वारा किए गए बिटुमेन की लागत में। डी. आर. बी. द्वारा किया गया उपरोक्त विश्लेषण काफी स्वीकार्य है। [पैरा 31-33] [1040-जी; 1041-डी-एफ]

1.7 नतीजतन, यह माना जाता है कि बिटुमेन के मूल्य समायोजन की गणना के लिए मूल्य समायोजन सूत्र को लागू करते समय, यह है आधार दर जो लागू की जानी है न कि वर्तमान दर। [पैरा 35] [1043-एफ-जी]

1.8 एनएचएआई ने इसके साथ कई अनुबंध किए हैं।

मूल्य भिन्नता के समान खंडों वाले विभिन्न पक्ष। मध्यस्थ न्यायाधिकरण अलग-अलग विचार रखते रहे हैं और एनएचएआई के पक्ष में लिया गया दृष्टिकोण भी संभावित विचारों में से एक है। व्याख्याओं में, इसका प्रभाव दोनों प्रकार के पुरस्कारों को बनाए रखना होगा, भले ही वे भारत के राष्ट्रीय उच्च प्राधिकरण के संबंध में प्रकृति में परस्पर विरोधी हों।

एम/एस। प्रोग्रेसिववीआर (जेवी)

समान संविदात्मक प्रावधान। ऐसी स्थिति को स्वीकार करना उचित नहीं हो सकता है जिसे ठीक करने की आवश्यकता है। एक बार जब सूत्र की व्याख्या ऊपर बताए गए तरीके से की जाती है, तो आवश्यक परिणाम यह माना जाएगा कि मध्यस्थ

न्यायाधिकरणों ने सूत्र के सही अनुप्रयोग के साथ मामलों का निर्णय नहीं लिया और आगे कहा कि ठेकेदारों द्वारा रखे गए बिटुमेन के संबंध में मूल्य समायोजन का दावा सही नहीं था। इसलिए, यह माना जा सकता है कि पुरस्कार संविदात्मक शर्तों के विपरीत हैं। उसी समय, यह परिणाम एक दुविधा की बात यह है कि इन मामलों में मध्यस्थता न्यायाधिकरण ने एक विशेष दृष्टिकोण अपनाया है और जब यह एक प्रशंसनीय दृष्टिकोण था, तो मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 34 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए न्यायालय की न्यायिक समीक्षा के मापदंडों को ध्यान में रखते हुए आम तौर पर न्यायालय ऐसे पुरस्कारों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। हालाँकि, जैसा कि पहले ही ऊपर संकेत दिया गया है, मध्यस्थ न्यायाधिकरणों द्वारा दिए गए परस्पर विरोधी पुरस्कारों के कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है

स्वयं, जिसने इस न्यायालय को मामले में अंतिम दृष्टिकोण लेने के लिए उकसाया है, जो उपरोक्त कारण से आवश्यक है। यदि कोई इस सिद्धांत को ध्यान में रखता है कि वह सिद्धांत को लागू करता है

यांत्रिक रूप से अर्थात कि एक प्रशंसनीय दृष्टिकोण में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए, तो यह बहुत विसंगत स्थिति का कारण बन सकता है। ऐसे में

अंततः, ठेकेदार के पक्ष में एक विशेष मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा लिए गए दृष्टिकोण को प्रशंसनीय दृष्टिकोण के रूप में बरकरार रखा जाएगा। इसी तरह, न्यायालय को एनएचएआई के पक्ष में एक विशेष मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा लिए गए दृष्टिकोण को भी एक प्रशंसनीय दृष्टिकोण के रूप में बनाए रखना होगा। इसलिए, इसका उद्देश्य ऐसी स्थिति से बचना है जिसकी अनुमति नहीं दी जा सकती है क्योंकि इसके परिणामस्वरूप दोनों प्रकार के मध्यस्थता पुरस्कारों को बरकरार रखा जाएगा।

एक ही खंड की व्याख्या करते हुए, क्या वे इसके पक्ष में जाते हैं

नियोक्ता या वे ठेकेदार के पक्ष में जाते हैं। जब इन विचारों को ध्यान में रखते हुए अभ्यास किया जाता है और इसका परिणाम निर्धारित नहीं किया जाता है, तो न्याय का हित यह भी मांग करेगा कि यह परिणाम लंबित मामलों पर लागू किया जाए, जो अंतिम रूप से प्राप्त नहीं हुए हैं। इसलिए, इन विशिष्ट परिस्थितियों में, यह माना जाता है कि मुद्दे को रोकने का सिद्धांत केवल उन मामलों में लागू होगा जहां मामले अंतिम हो गए हैं और कोई न्यायिक नहीं है।

कार्यवाही लंबित है। वर्तमान सहित उन सभी मामलों में, जहां इस विशेष पहलू पर पुरस्कारों को चुनौती दी जाती है, यह निर्णय परिणाम को नियंत्रित करेगा। [पैरा 13,36 और 37] [1026 सी-डी; 1043-एच; 1044-ए-एफ] [2018] 2 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड वी. फ्रेंड्स कोल

कार्बनीकरण (2006) 4 एस. सी. सी. 445; सहयोगी बिल्डर

वी. दिल्ली विकास प्राधिकरण (2015) 3 एससीसी 49;

भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड बनाम। कृष्ण कुमार विज

& एन. आर. (2010) 8 एससीसी 701: [2010] 10 एस. सी. आर. 462; भानु

कुमार जैन बनाम। अर्चना कुमार और अन्र। (2005) (1)

एससीसी 787: [2004] 6 पूरक। एससीआर 1104; गोधरा

इलेक्ट्रिसिटी कंपनी लिमिटेड और ए. एन. आर. वी. गुजरात राज्य और अन्र।

(1975) 1 एस. सी. सी. 199; बैंक ऑफ इंडिया बनाम K.Mohandas और ओआरएस।

(2009) 5 एस. सी. सी. 313 निर्दिष्ट है।

मामला कानून संदर्भ

(2006) 4 एस. सी. सी. 445

संदर्भित किया गया है

पै

रा 21

(2015) 3 एससीसी 49

उस पर भरोसा करें

पै

रा 21

[2010] 10 एससीआर 462

संदर्भित किया गया है

पै

रा 21

[2004] 6 पूरक। एससीआर 1104

उस पर भरोसा करें

पै

रा 24

(1975) 1 एससीसी 199

संदर्भित किया गया है

पै

रा 24

(2009) 5 एस. सी. सी. 313

उस पर भरोसा करें

पै

रा 24

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं. 458

2018

उच्च न्यायालय के 16.09.2016 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2013 के ओ. एम. पी. (सी. ओ. एम. एम.) सं. 1211 से उद्भूत 2016 के एफ. ए. ओ. (ओ. एस.) (सी. ओ. एम. एम.) सं. 81 में नई दिल्ली में दिल्ली के लिए।

के साथ

2018 का सी. ए. एन. ओ. एस., 459 और 460

एन. के. कौल, पी. एस. पटवालिया, वरिष्ठ अधिवक्ता। , एस. नंदकुमार, नरेश

कुमार, सुश्री तानुप्रिया गुप्ता, एस. सरनकुमार, राम धन सिंह नरवाल, सुश्री दीपिकानंद कुमार, सुगम कुमार झा, मनीष के. बिश्नोई, देवांश श्रीवास्तव, सुश्री इला हल्दिया, सुश्री हर्षिका वर्मा, अर्चित

उपाध्याय, एस. गुरुकृष्ण कुमार, के. परमेश्वर, अमित जॉर्ज, उदित गुप्ता, अजय कुमार झा, अभिषेक चौधरी, अधिवक्ता। उपस्थित दलों के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

ए. के. सिकरी, जे. इन सभी अपीलों में एक समान याचिका शामिल है।

प्रकृति। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एन. एच. ए. आई.) भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण बनाम में अपीलकर्ता है।

एम/एस। प्रोग्रेसिवेमवर (जेवी) [ए. के. सिकरी, जे.]

ये अपीलें। विभिन्न अपीलों में उत्तरदाता वे ठेकेदार होते हैं जिन्हें अपीलार्थी/एनएचएआई द्वारा सड़कों आदि के निर्माण के लिए अनुबंध दिए गए थे। जिन नियमों और शर्तों पर अनुबंधों को निष्पादित किया जाना था, वे इन सभी मामलों में समान हैं, क्योंकि मानक रूप अनुबंध पर पक्षों द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। व्याख्या को लेकर विवाद पैदा हो गया था। यह अनुबंध के विशेष आवेदन की शर्तों (सी. ओ. पी. ए.) के उपखंड 70.3 को दिया जाना है जिसमें 'मूल्य समायोजन सूत्र' शामिल है। सामान्य एफ. आई. डी. आई. सी. निर्माण अनुबंधों पर आधारित एन. एच. ए. आई. के निविदा दस्तावेज में परिकल्पना की गई है कि काम के आकलन के बाद से

जिस पर काम की विभिन्न वस्तुओं की दरें, कीमतें और लागतें शामिल हैं

बोली जमा करने की तारीख को और उसके आसपास प्रचलित सामग्री, श्रम और अन्य निवेशों की कीमतों/लागतों के आधार पर, 'मूल्य समायोजन' (जिसे आम तौर पर मूल्य वृद्धि/परिवर्तन के रूप में भी जाना जाता है) की आवश्यकता होती है ताकि दोनों पक्षों को उस अवधि के दौरान जब काम किया जा रहा हो, काम के विभिन्न घटकों की कीमतों/लागतों में वृद्धि या गिरावट के मामलों में सुरक्षा मिल सके। एन. एच. ए. आई. अनुबंधों में, एकमुश्त वित्तीय बोली के विपरीत, अनुबंध के तहत निष्पादित किए जाने वाले पूरे काम को बी. ओ. क्यू. (मात्रा के बिल) दस्तावेज़ में कार्य इकाई के अनुसार विभिन्न अनुमानित मात्राओं में विभाजित किया गया है जो निविदा दस्तावेज़ का हिस्सा है। प्रत्येक बोलीदाता को प्रत्येक अनुमानित मात्रा या कार्य की वस्तुओं के लिए दरों/कीमतों को उद्धृत करना आवश्यक है। ये

प्रत्येक में काम और मूल्य समायोजन के सात घटकों में विभाजित मासिक आधार पर किया गया अंतरिम भुगतान केवल इन घटकों के लिए दिया जाता है, जो उपखंड 70.2 में स्पष्ट किया गया है जो उस मूल्य का प्रावधान करता है।

70. 3 में गिने गए सात घटकों के अलावा किसी भी खाते में समायोजन को मूल्य बोली राशि में शामिल किया गया माना जाता है। कार्यों के ये सात घटक श्रम, संयंत्र और मशीनरी और पुर्जे, पेट्रोल, तेल और स्नेहक (पी. ओ. एल.), बिटुमेन, सीमेंट, इस्पात और अन्य घटक/सामग्री हैं। चूँकि बी. ओ. क्यू. दर या आधार इकाई दर/मूल्य दावेदारों द्वारा प्रस्तुत मात्रा के बिल (बी. ओ. क्यू.) में काम की एक विशेष वस्तु के लिए समग्र दर है और विशेष रूप से उपखंड 70.3 (xi) में दिए गए कार्यों के सात घटकों की आधार दर/मूल्य नहीं देता है। 2. विवाद उपखंड 70.3 (xi) की व्याख्या से संबंधित है जिसे नीचे उद्धृत किया गया हैः

श्रम-पी. आई.

20 %

अ)

संयंत्र और मशीनरी और

20 %

ख)

पुर्जे-पीपी

(ग)

पीओएल-पीएफ

10 %

बिटुमेन-पीबी

x%

(घ)

सीमेंट-पीसी

ई)

y%

z%

च)

स्टील-पी एस

50- (x + y + z)%

अन्य सामग्री-पी. एम.

जी)

कुलः

100 %

(ध्यान देंः x, y, z सामग्री की लागत का वास्तविक प्रतिशत है

निष्पादन के लिए क्रमशः बिटुमेन, सीमेंट और स्टील का उपयोग किया जाता है

महीने के लिए अंतरिम भुगतान प्रमाणपत्र के अनुसार काम करें) "

3. पूरा विवाद उप के बाद 'नोट' के संबंध में है।

उपखंड 70 का पैरा (xi) उन शर्तों का, जिन्हें ऊपर निकाला गया है। इस नोट में उल्लेख किया गया है कि x, y, z क्रमशः बिटुमेन, सीमेंट और स्टील की सामग्री की लागत का वास्तविक प्रतिशत है जिसका उपयोग अंतरिम भुगतान प्रमाणपत्र (आई. पी. सी.) के अनुसार काम के निष्पादन के लिए किया जाता है। मुद्दा यह है कि लागत के वास्तविक प्रतिशत की गणना करते समय

क्रमशः बिटुमेन, सीमेंट और स्टील की सामग्री, यह इन सामग्रियों की आधार दर (यानी बोली जमा करने से 28 दिन पहले प्रचलित दर) है जिसे प्रदान किए गए सूत्र के अनुसार मूल्य समायोजन पर काम करते समय ध्यान में रखा जाना चाहिए या यह उस विशेष महीने में सामग्री की वर्तमान लागत है।

4. उत्तरदाता (इसके बाद 'ठेकेदारों' के रूप में संदर्भित)

यह तर्क देते हुए कि यह उस विशेष महीने में प्रचलित दर है जो निर्धारण कारक होगी, जबकि एनएचएआई सूत्र को लागू करते समय आधार दर लेने पर जोर देता है।

5. आगे बढ़ने से पहले, इस मोड़ पर, हम चाहेंगे कि

विवादित विवाद को जन्म देने वाली ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बताएँ। सुविधा के लिए, 2018 की सिविल अपील संख्या 458 से तथ्यों पर ध्यान दिया जाता है जिसमें मेसर्स. प्रोग्रेसिव एम. वी. आर. (जे. वी.) ठेकेदार है।

एन. एच. ए. आई. एक वैधानिक निकाय है जिसका गठन धारा 3 के तहत किया गया है।

एनएचएआई अधिनियम, 1988। एनएचएआई अधिनियम, 1988 की धारा 16 के तहत एनएचएआई को सौंपे गए कार्य केंद्र सरकार द्वारा सौंपे गए राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास, रखरखाव और प्रबंधन करना है। वर्ष 2005 में, एनएचएआई ने किलोमीटर से चार लेन के लिए बोली लगाने का निमंत्रण जारी किया।

402.00 भारत के राष्ट्रीय उच्च प्राधिकरण v. एम/एस। प्रोग्रेसिवेमवर (जेवी) [ए. के. सिकरी, जे.]

बिहार में एन. एच.-28 के गोपालगंज-मुज़फ़्फ़रपुर खंड का किमी <आई. डी. 1 अनुबंध पैकेज सं. एल. एम. एन. एच. पी.-ई. डब्ल्यू.-II-(डब्ल्यू. बी.-10)। ठेकेदार को सफल बोलीदाता पाया गया और तदनुसार उसे स्वीकृति पत्र जारी किया गया जिसमें यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि आपकी बोली एनएचएआई द्वारा Rs.263,97,29,718/- (दो सौ साठ करोड़ नब्बे सात लाख उनतीस हजार सात सौ) के अनुबंध मूल्य के लिए स्वीकार की जाती है।

केवल अठारह रुपये)। एनएचएआई के अनुसार, इंजीनियर आधार दर के अनुसार मूल्य समायोजन का भुगतान कर रहा था और ठेकेदार ने इस संबंध में कोई विवाद नहीं उठाया था। ठेकेदार ने पहली बार आने पर वर्तमान लागत लागू करके मूल्य समायोजन के बारे में विवाद उठाया कोपा के उपखंड 70.3 (viii) के अनुसार XYZ प्रतिशत। ठेकेदार ने 13 अप्रैल, 2008 के पत्र के माध्यम से आई. पी. ए. 9 जमा करने के समय इंजीनियर के साथ आपत्ति जताई। टीम लीडर ने ठेकेदार द्वारा उठाए गए विवाद को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि सामग्री की वर्तमान दरों पर विचार करके मूल्य समायोजन के सार को बनाए नहीं रखा जा सकता है और दावे को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। इसके परिणामस्वरूप पक्षों के बीच विवाद हुआ और 2 सितंबर, 2008 को ठेकेदार ने सी. ओ. पी. ए. के उपखंड 67.1 के प्रावधान को लागू किया और मामले को डी. आर. बी. (विवाद समाधान बोर्ड) से सिफारिश के लिए भेजा।

6. डी. आर. बी. ने अपने बहुमत के आधार पर दिनांकित अपनी सिफारिश दी।

4 जनवरी, 2009 को इस प्रभाव के लिए कि 'ठेकेदार की व्याख्या अनुबंध के अनुसार नहीं है और इसे अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए।' दुखी होना।

डी. आर. बी. द्वारा पारित आदेश द्वारा, ठेकेदार ने डी. आर. बी. द्वारा पारित आदेश के खिलाफ सी. ओ. पी. ए. के खंड 67 के प्रावधानों के संदर्भ में मध्यस्थता का आह्वान करने के लिए एक नोटिस जारी किया। मध्यस्थ न्यायाधिकरण का गठन किया गया। प्रतिवादी ने निम्नलिखित दावे के लिए मध्यस्थ न्यायाधिकरण के समक्ष दावे का बयान दायर कियाः

दावा संख्या 2-ब्याज-पिछला ब्याज, लटकता ब्याज और भविष्य। दावा संख्या 3-मध्यस्थता की लागत।

7. कार्यवाही के समापन के बाद, मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने 7 अगस्त, 2013 के अपने बहुमत निर्णय में (एक सदस्य के असहमति के साथ) ठेकेदार के पक्ष में इस मुद्दे का फैसला किया, अन्य बातों के साथ-साथ यह अभिनिर्धारित किया किः

" मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने पाया कि पूरा विवाद उपखंड 70.3 (xi) में दिखाई देने वाले 'लागत' शब्द पर निर्भर है। ठेकेदार ने कहा उस लागत को [2018] 2 एस. सी. आर. में उसके द्वारा किए गए वास्तविक व्यय के रूप में पढ़ा जाना चाहिए।

वर्तमान चालानों के अनुसार इन सामग्रियों की खरीद जबकि प्रतिवादी का कहना है कि इस शब्द "लागत" को आधार दरों पर तैयार की जाने वाली इन सामग्रियों की लागत के रूप में पढ़ा जाना चाहिए। इस तरह अनुबंध में अस्पष्टता का एक तत्व पैदा हो गया है। इसलिए विभिन्न कोणों से विवाद का विश्लेषण करने के बावजूद, जैसा कि पूर्वगामी पैरा में चर्चा की गई है, भले ही हम अंगूठे के नियम को लागू करते हैं।

लागत शब्द का अर्थ उस नियोक्ता के खिलाफ लगाया जाना चाहिए जिसने मसौदा तैयार किया है।

इस प्रकार, इसने प्रत्यर्थी द्वारा उठाए गए दावे की अनुमति दी।

8. असहमति नोट में, असंतुष्ट मध्यस्थ ने पैरा 11 में अभिनिर्धारित किया

वहः

" मेरी राय में मूल्य भिन्नता सूत्र में पी. बी. या पी. सी. या पी. एस.

आई. पी. सी. के समय वास्तविक व्यय और जी. सी. सी. के पैरा 1 (जी) (1) में दी गई लागत की परिभाषा को ध्यान में नहीं रखना।

यह मामले से संबंधित नहीं है "।

उन्होंने आगे कहा कि ठेकेदार को ठेकेदार से पांच महीने पहले से ही एनएचएआई पर व्याख्या के बारे में बहुत जानकारी है

अपनी बोली प्रस्तुत की और प्रयोज्यता की विधि को जानने के बाद भी उन्होंने XYZ की गणना की विधि के संबंध में कोई संदेह या स्पष्टीकरण नहीं दिया था और न ही 70.3 (viii) के नीचे संलग्न नोट के लिए कोई स्पष्टीकरण मांगा था जो दर्शाता है कि वे XYZ की गणना की विधि के बारे में पूरी तरह से अवगत हैं और बाद में अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से ठेकेदार को "नोट्स" से संबंधित एनएचएआई की विधि और व्याख्या के लिए स्वीकृति मिली।

9. के दावे की अनुमति देने वाले उक्त बहुमत पुरस्कार के खिलाफ

ठेकेदार, एनएचएआई ने दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (इसके बाद 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित) की धारा 34 के रूप में आपत्तियां दायर कीं। इसे ओ. एम. पी. (कॉम.) के रूप में क्रमांकित किया गया था। 2013 का सं. 1211। 10. हम इस स्तर पर यह भी उल्लेख कर सकते हैं कि एनएचएआई और मेसर्स के बीच अन्य विवाद में। एन. सी. सी.-वी. ई. ई. (जे. वी.), जहाँ पुरस्कार भी गया था।

उक्त ठेकेदार के पक्ष में, एनएचएआई द्वारा दायर इसी तरह की आपत्तियों को विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा 17 दिसंबर, 2014 को खारिज कर दिया गया था और इसके खिलाफ अपील को भी खंड पीठ द्वारा खारिज कर दिया गया था। 10 मार्च, 2015 को उच्च न्यायालय। इतना ही नहीं, एनएचएआई द्वारा दायर

विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) को भी इस अदालत ने 10 मार्च, 2015 को खारिज कर दिया था। जब चीजें उस पर टिकी थीं, तो भारत की एक और महत्वपूर्ण और दिलचस्प राष्ट्रीय उच्च प्राधिकरण v.

एम/एस। प्रोग्रेसिववर (जेवी) [ए. के. सिकरी, जे.]

विकास हुआ। एक अन्य समान विवाद में एक एम/एस द्वारा उठाया गया। सांगयोंग इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, मध्यस्थ न्यायाधिकरण

उस मामले में गठित ने 14 दिसंबर, 2015 को अपना निर्णय दिया, जिसके तहत उसने एनएचएआई द्वारा की जा रही व्याख्या को स्वीकार किया और उक्त ठेकेदार के दावे को खारिज कर दिया।

11. जहां तक हो सके, मेसर्स में दिए गए पुरस्कार के खिलाफ उच्च न्यायालय में दायर धारा 34 के तहत एनएचएआई की याचिका।

प्रगतिशील एम. वी. आर. (जे. वी.) का संबंध है, विद्वान एकल न्यायाधीश ने 23 अगस्त, 2016 के अपने आदेश के माध्यम से इसे खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि यह मामला मैसर्स में डिवीजन बेंच के फैसले के दायरे में आता है। एनसीसी-वीईई (जेवी) मामला। एकल न्यायाधीश के उस आदेश के खिलाफ, एनएचएआई ने अंतर-न्यायालय अपील दायर की, जिसे उच्च न्यायालय ने 10 मार्च, 2015 के अपने पहले के फैसले के बाद 16 सितंबर, 2016 के विवादित फैसले के माध्यम से खारिज कर दिया है। इस तरह मेसर्स के खिलाफ एनएचएआई की अपील है। प्रगतिशील एम. वी. आर. (जे. वी.) विचार के लिए आया था। इसी तरह, अन्य मामलों में भी, उच्च न्यायालय के निर्णय कुछ इसी तरह की परिस्थितियों में ठेकेदारों के पक्ष में गए हैं।

12. इस मोड़ पर एक और प्रासंगिक अवलोकन का उल्लेख करने की आवश्यकता है। उपरोक्त पैरा 11 में, हमने नोट किया है कि एम/एस के मामले में। एनसीसी-वी. ई. ई.

(जे. वी.) उसी खंड की व्याख्या करने वाले समान पुरस्कार जो ठेकेदार के पक्ष में और एन. एच. ए. आई. के खिलाफ था, को बरकरार रखा गया और एन. एच. ए. आई. द्वारा दायर आपत्ति याचिका को खारिज कर दिया गया। उस आदेश को उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने 10 मार्च, 2015 और एसएलपी द्वारा बरकरार रखा था।

इसके खिलाफ भी बर्खास्त कर दिया गया था। विशेष रूप से, अपील को खारिज करते हुए, उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने 10 मार्च, 2015 के अपने आदेश में कहाः

" 10. हमने विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले की भी जांच की है। हम पाते हैं कि मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा दी गई व्याख्या एक असंभव दृष्टिकोण नहीं है। हालाँकि, कुछ सार हो सकता है, जिसमें अपीलार्थी के विद्वान वकील प्रस्तुत करते हैं - उक्त टिप्पणी की व्याख्या, लेकिन यह केवल संभावित व्याख्याओं में से एक होगी। एक और संभावित व्याख्या यह है कि,

मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा अपनाया गया।

11. यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि अनुबंध की अवधि की व्याख्या मध्यस्थ न्यायाधिकरण के अधिकार क्षेत्र में है और यदि मध्यस्थ न्यायाधिकरण किसी विशेष खंड की व्याख्या एक विशेष तरीके से करता है, जो एक संभावित व्याख्या है, तो न्यायालय को उक्त अधिनियम की धारा 34 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।

अपवाद यह है कि जहां व्याख्या के परिणामस्वरूप विकृति होती है और न्यायालय की चेतना को झटका लगता है, बाद की संभावना है

वर्तमान मामले में ऐसा नहीं हुआ।

13. इस प्रकार, एनएचएआई की उन कार्यवाही में हार का मुख्य कारण यह था कि दो संभावित व्याख्याएँ दी जा सकती थीं। विचाराधीन खंड के लिए और इसलिए, मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा एक विशेष व्याख्या को अपनाकर किए गए उपाय में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं थी। इसके खिलाफ एसएलपी को खारिज कर दिया गया था। इस तरह की स्थिति में, यह न्यायालय इस मामले में आगे की कवायद नहीं करता। तथापि, मेसर्स के मामले में एक अन्य मध्यस्थ न्यायाधिकरण। सांगयोंग इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड ने दूसरे दृष्टिकोण को स्वीकार कर लिया है, जो एनएचएआई के पक्ष में है। यह एक विसंगत स्थिति की ओर ले जाता है। एनएचएआई ने विभिन्न पक्षों के साथ कई अनुबंध किए हैं

मूल्य भिन्नता के समान खंड शामिल हैं। एक बार जब हम पाते हैं कि मध्यस्थ न्यायाधिकरण अलग-अलग विचार ले रहे हैं, और एनएचएआई के पक्ष में लिया गया दृष्टिकोण भी संभावित व्याख्याओं में से एक है, तो इसका प्रभाव दोनों प्रकार के पुरस्कारों को बनाए रखने के लिए होगा, भले ही वे एक ही संविदात्मक प्रावधान के संबंध में प्रकृति में परस्पर विरोधी हों। यह नहीं हो सकता है ऐसी स्थिति को स्वीकार करने के लिए उपयुक्त है जिसे ठीक करने की आवश्यकता है।

इसलिए, इस विशिष्ट स्थिति में, हम उक्त खंड की व्याख्या करने के अभ्यास में जाना उचित समझते हैं ताकि इस विशेष विवाद से निपटने वाले मध्यस्थ न्यायाधिकरणों के दृष्टिकोण में एकरूपता हो और परिणामों में निश्चितता की भावना जुड़ी हो।

14. जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, खंड 70 प्रासंगिक खंड है जो मूल्य समायोजन से संबंधित है, जिससे हम संबंधित हैं। तदनुसार, हम यहाँ प्रासंगिक भागों को पुनः प्रस्तुत करते हैंः

" खंड 70: लागत और विधान में परिवर्तन

खंड 70 को पूरी तरह से हटा दें और प्रतिस्थापित करेंः

उपखंड 70.1: मूल्य समायोजन

उपखंड 60.1 के अनुसार विभिन्न मुद्राओं में ठेकेदार को देय राशि को श्रम, ठेकेदार के उपकरण, संयंत्र सामग्री और अन्य निवेशों की लागत में वृद्धि या गिरावट के संबंध में समायोजित किया जाएगा।

इस खंड में निर्धारित सूत्र की राशि।

उपखंड 70.2: लागत में अन्य परिवर्तन

इस हद तक कि भारत के राष्ट्रीय उच्च प्राधिकरण में किसी भी वृद्धि या गिरावट के लिए पूर्ण मुआवजा v.

एम/एस। प्रोग्रेसिवेमवर (जेवी) [ए. के. सिकरी, जे.]

ठेकेदार के लिए लागत अनुबंध में इस या अन्य खंडों के प्रावधानों द्वारा कवर नहीं की जाती है, इकाई दरों और अनुबंध में शामिल कीमतों को लागत में इस तरह की अन्य वृद्धि या गिरावट की आकस्मिकता को कवर करने के लिए राशि शामिल माना जाएगा।

उपखंड 70.3: समायोजन सूत्र

दरों में वृद्धि या कमी के लिए संपर्क मूल्य समायोजित किया जाएगा।

और निम्नलिखित सिद्धांतों के अनुसार श्रम, सामग्री, संयंत्र, मशीनरी, उपकरण, पुर्जे, ईंधन और स्नेहक की कीमत और नीचे दिए गए सूत्रों के अनुसार प्रक्रियाएँ। प्रत्येक भुगतान प्रमाणपत्र में प्रमाणित राशि को प्रत्येक मुद्रा में देय भुगतान राशि के लिए संबंधित मूल्य समायोजन कारक लागू करके समायोजित किया जाएगा।

क) निर्धारित समय के भीतर किए गए कार्य या नियोक्ता द्वारा दिए गए विस्तार के लिए मूल्य समायोजन लागू होगा और निर्धारित समय से अधिक किए गए कार्य के लिए लागू नहीं होगा। ठेकेदार द्वारा बताए गए कारणों से मूल्य समायोजन का भुगतान उपखंड 70.6 के अनुसार किया जाएगा। ख) मूल्य समायोजन की गणना नीचे दिए गए सूत्रों के अनुसार किए गए कार्य के लिए भुगतान के स्थानीय और विदेशी घटकों के लिए की जाएगी; और

ग) विचाराधीन अवधि के दौरान किए गए कार्य के मूल्य के लिए निम्नलिखित अभिव्यक्तियाँ और अर्थ दिए गए हैं:

आर = भारतीय रुपये की मुद्रा में विचाराधीन और देय अवधि के दौरान किए गए काम का कुल मूल्य, इसमें उन सामग्रियों का मूल्य शामिल होगा जिन पर इस अवधि के दौरान सुरक्षित अग्रिम दिया गया है, यदि कोई हो, तो उन सामग्रियों के मूल्य को कम करेगा जिनके संबंध में सुरक्षित अग्रिम की वसूली की गई है, यदि कोई हो। अवधि। इससे उन वस्तुओं की कार्य लागत समाप्त हो जाएगी जिनके लिए दरें परिवर्तन खंड (51 और 52) के तहत निर्धारित की गई थीं, जिसके लिए वृद्धि को दर निर्धारित करने के समय पारस्परिक रूप से सहमत होने के अनुसार विनियमित किया जाएगा।

री = भारतीय रुपये में देय 'आर' का हिस्सा विदेशी मुद्रा में देय 'आर' का आर. एफ. हिस्सा (पहले

विनिमय दरें)

इस हद तक कि ठेकेदार को अनुक्रमित लागत में किसी भी वृद्धि या गिरावट के लिए पूर्ण मुआवजा अनुबंध में इस या अन्य खंडों के प्रावधानों द्वारा कवर नहीं किया जाता है, अनुबंध में शामिल इकाई दरों और कीमतों को लागत में ऐसी अन्य वृद्धि या गिरावट की आकस्मिकता को कवर करने के लिए राशि शामिल माना जाएगा।

i) श्रम घटक के लिए समायोजन

XXX

XXX

XXX

(ii) सीमेंट घटक के लिए समायोजन

XXX

XXX

XXX

iii) इस्पात घटक के लिए समायोजन

XXX

XXX

XXX

iv) संयंत्र और मशीनरी और पुर्जों के लिए समायोजन

XXX

XXX

XXX v) बिटुमेन घटक के लिए समायोजन

Vb = 0.85 x Pb/100 x R, x (Bi-Bo)/Bo Vb = बिटुमेन की दर में परिवर्तन के कारण विचाराधीन महीने के दौरान काम की लागत में वृद्धि या कमी।

बो = बोली जमा करने की तारीख से 28 दिन पहले बरौनी/हल्दिया में आई. ओ. सी. डिपो में बिटुमेन का औसत आधिकारिक मूल्य रखा जाता है।

बी. आई. = बरौनी/हल्दिया में आई. ओ. सी. डिपो में बिटुमेन का औसत आधिकारिक खुदरा मूल्य उस अवधि के अंतिम दिन से 28 दिन पहले, जिससे एक विशेष अंतरिम भुगतान प्रमाण पत्र संबंधित है।

पीबी = काम के बिटुमेन घटक का प्रतिशत।

vi) ईंधन और स्नेहक के लिए समायोजन

XXX

XXX

XXX

vii) अन्य स्थानीय सामग्रियों के लिए समायोजन

XXX

XXX

भारत का XXX राष्ट्रीय उच्च प्राधिकरण v. एम/एस। प्रोग्रेसिवेमवर (जेवी) [ए. के. सिकरी, जे.]

viii) विदेशी मुद्रा घटक के लिए समायोजन

XXX

XXX

XXX

xi) निम्नलिखित प्रतिशत मूल्य समायोजन को नियंत्रित करेंगे। अनुबंध के स्थानीय मुद्रा भाग (आर. आई.) के लिएः

1. श्रम-पी 1

20 %

2. संयंत्र और मशीनरी और पुर्जे-पीपी

20 %

10 %

3. पीओएल-पीएफ

4. बिटुमेन-पीबी

एक्स%

Y%

5. सीमेंट-पीसी

जेड%

6. स्टील-पी एस

50 (एक्स + वाई + जेड)%

7. अन्य सामग्री-पी. एम.

100 %

कुल

(ध्यान देंः एक्स, वाई, जेड बिटुमेन की लागत का वास्तविक प्रतिशत हैं,

सीमेंट और इस्पात का उपयोग क्रमशः कार्य निष्पादन के लिए किया जाता है

महीने के लिए अंतरिम भुगतान प्रमाण पत्र)

उपखंड 70.4: सूचकांकों के स्रोत

XXX

XXX

XXX

आधार लागत सूचकांक या मूल्य वे होंगे जो इस पर प्रचलित हैं बोलियां जमा करने की अंतिम तिथि से 28 दिन पहले।

वर्तमान सूचकांक या कीमतें 28 वें दिन प्रचलित होंगी। उस अवधि के अंतिम दिन से पहले के दिन जिसमें एक विशेष

अंतरिम भुगतान प्रमाणपत्र संबंधित है। यदि किसी भी समय वर्तमान

ठेकेदार को भुगतान की गई राशि जब वर्तमान सूचकांक बन जाते हैं उपलब्ध है "।

15. खंड 70.3 (v) बिटुमेन के लिए समायोजन से संबंधित है।एक '। इस खंड के अनुसार, वृद्धि के लिए मूल्य समायोजन या

से में बिटुमेन की लागत के अनुसार भुगतान किया जाना है आईएनजी सूत्रः

“ Vb = 0.85 x Pb/100 x R1 x (Bi-Bo)/Bo "

16. पी. बी. काम के बिटुमेन घटक के प्रतिशत को दर्शाता है और आर, काम का कुल मूल्य है। बीआई वर्तमान दर/लागत को दर्शाता है क्योंकि यह बोली जमा करने से 28 दिन पहले बरौनी/हल्दिया में आईओसी डिपो में बिटुमेन का औसत आधिकारिक खुदरा मूल्य है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि यह आधार दर के बराबर है। इस प्रकार, जब इस सूत्र को अपना माना जाता है, तो बो स्पष्ट रूप से आधार दर को संदर्भित करता है। हालांकि, खंड 70.3 (xi) में संलग्न नोट के कारण थोड़ा भ्रम पैदा होता है। उपखंड (xi) के अवलोकन से पता चलता है कि जहां तक श्रम, संयंत्र और मशीनरी और पुर्जों और पी. ओ. एल. (पेट्रोल, श्रम और स्नेहक) का संबंध है, संबंधित, विशिष्ट प्रतिशत दिए गए हैं जो मूल्य समायोजन को नियंत्रित करने के लिए थे और ये क्रमशः 20 प्रतिशत, 20 प्रतिशत और 10 प्रतिशत हैं। हालांकि, जहां तक बिटुमेन, सीमेंट और इस्पात घटकों का संबंध है,

प्रतिशत निर्धारित किए जाने हैं जिन्हें क्रमशः X%, Y% और Z% के रूप में दर्शाया जाता है। एक्स, वाई, जेड क्रमशः बिटुमेन, सीमेंट और स्टील की लागत का वास्तविक प्रतिशत है, जिसका उपयोग महीने के लिए आई. पी. सी. के अनुसार काम के निष्पादन के लिए किया जाता है।

17. ठेकेदारों के अनुसार, उसमें उल्लिखित 'लागत' शब्द अनुबंध में निहित परिभाषा के अनुसार निर्दिष्ट किया जाना है। जो इस प्रकार हैः

" लागत का अर्थ है उचित रूप से किया गया या किया जाने वाला सभी व्यय, चाहे वह स्थल पर हो या उसके बाहर, जिसमें ओवरहेड और अन्य शुल्क शामिल हैं जो उन्हें ठीक से आवंटित किए गए हैं, लेकिन इसमें कोई भत्ता शामिल नहीं है।

लाभ के लिए "।

हालांकि, एनएचएआई के अनुसार, 'लागत का वास्तविक प्रतिशत उस प्रतिशत को संदर्भित करता है जिसे विशेष घटक को सौंपा जाना है,

अर्थात्, इस मामले में बिटुमेन और यह वास्तविक लागत को संदर्भित नहीं करता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस नोट में आधार दर का कोई उल्लेख नहीं है। हालाँकि, एनएचएआई का प्रस्तुतिकरण यह है कि चूंकि यह वह लागत है जिसका उपयोग निष्पादन के लिए किया जाता है

अंतरिम भुगतान प्रमाणपत्र के अनुसार काम करें। जहाँ तक आई. पी. सी. का संबंध है, उसी पर आधार दर पर काम किया जाता है और इसलिए, यह आधार दर को संदर्भित करता है। अपने तर्क का समर्थन करने के लिए, एनएचएआई ने बिटुमेन (एक्स%) की गणना के लिए निम्नलिखित उदाहरण दिया हैः

" Vb = 0.85 x Pb/100 x Ri x (Bi-Bo)/Bo

(0.85 जो 85 प्रतिशत है क्योंकि 15 प्रतिशत लाभ है जिस पर कोई समायोजन नहीं किया जा सकता है)

Vb = बिटुमेन की दर में परिवर्तन के कारण विचाराधीन महीने के दौरान काम की लागत में वृद्धि या कमी।

भारत का राष्ट्रीय उच्च प्राधिकरण v. एम/एस। प्रोग्रेसिवेमवर (जेवी) [ए. के. सिकरी, जे.]

बो = बरौनी/हल्दिया में आई. ओ. सी. डिपो में बिटुमेन का औसत आधिकारिक मूल्य 28 दिन पहले रखा जाता है। बोलियां प्रस्तुत करना।

बी. आई. = बरौनी/हल्दिया में आई. ओ. सी. डिपो में बिटुमेन का औसत आधिकारिक खुदरा मूल्य उस अवधि के अंतिम दिन से 28 दिन पहले, जिससे एक विशेष अंतरिम भुगतान प्रमाण पत्र संबंधित है। पी बी = एक्स% = काम के बिटुमेन घटक का प्रतिशत।

18. पी. बी. = एक्स.% की गणना एन. एच. ए. आई. द्वारा निम्नलिखित गणितीय तरीकों से की जाती है।

सूत्रः

" पी. बी. = महीने के दौरान खपत बिटुमेन की मात्रा x बिटुमेन की आधार दर x 100

x BOQ दरों के महीने के दौरान किया गया कुल कार्य।

19. आर, उपरोक्त सूत्र में आई. पी. सी. के अनुसार काम के मूल्य को दर्शाता है जिसकी गणना एन. एच. ए. आई. के अनुसार आधार दर पर की जाती है। यह है।

गलत धारणा है क्योंकि लागत की परिभाषा में यह प्रावधान नहीं है कि अनुबंध में जहां भी 'लागत' शब्द का उपयोग किया जाता है, वह हमेशा होना चाहिए। वर्तमान या वास्तविक लागत के रूप में माना जाता है। इसके अलावा, 'लागत' की परिभाषा कोई मुद्दा नहीं है, बल्कि 'किस तारीख और किस दर पर होने वाली लागत' वास्तविक सवाल है। यह तर्क दिया गया था कि 'लागत' शब्द का उपयोग वास्तव में खंड 70 के विभिन्न उपखंडों में किया जाता है जो स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि इसका अर्थ 'आधार लागत' होगा। इस विवाद के समर्थन में उपखंड 70.1,70.2 और 70.7 पर भरोसा किया गया है।

21. एनएचएआई की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्री पटवालिया ने उपरोक्त पहलुओं पर प्रकाश डालने के बाद एक भावुक याचिका दायर की।

प्रभाव कि उपखंड 70.3 (xi) में 'टिप्पणी' को दी गई व्याख्या

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा ठेकेदारों के पक्ष में विनाशकारी और अवास्तविक मूल्य समायोजन राशि होगी। प्रदर्शित करने के लिए उसी तरह, यह बताया गया है कि एम/एस के मामले में। प्रगतिशील एम. वी. आर. (जे. वी.), 41 आई. पी. सी. तक ठेकेदार को दी गई कुल राशि लगभग Rs.210 है।

करोड़। आधार दरों को ध्यान में रखते हुए गणना की गई और भुगतान की गई 41 आई. पी. सी. तक की मूल्य समायोजन राशि रु. 77.70 करोड़। दूसरी ओर ठेकेदार मूल्य समायोजन राशि के रूप में 1 करोड़ रुपये की राशि का दावा कर रहा है जो पूरे अनुबंध राशि का लगभग 60 प्रतिशत से अधिक है और इसलिए, स्पष्ट रूप से अतिरंजित और अनुचित है। इस प्रकार, यह तर्क दिया गया कि न्यायालय पुरस्कार में हस्तक्षेप कर सकता है जब यह स्पष्ट रूप से था अनुबंध की शर्तों के विपरीत। श्री पटवालिया इस हद तक गए

यह तर्क देना कि कोई भी उचित व्यक्ति इस तरह के निष्कर्ष पर नहीं पहुंचेगा जैसा कि मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा किया गया है और इसलिए, यह न्यायालय ऐसे निर्णय में हस्तक्षेप कर सकता है। रिलायंस को निम्नलिखित निर्णयों पर रखा गया थाः (i) हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड बनाम। मित्रों, कोयला कार्बनीकरण 1, (ii) सहयोगी बिल्डर बनाम। दिल्ली विकास प्राधिकरण 2 और (3) भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड v. कृष्ण कुमार विज और Anr.³ 3

22. वरिष्ठ अधिवक्ता श्री नीरज किशन कौल, श्री एस. गुरुकृष्ण कुमार और श्री ध्रुव मेहता ने विभिन्न पक्षों की ओर से मामले की पैरवी की।

उत्तरदाताओं। यह प्रस्तुत किया गया था कि जब दो विचार संभव हों, तो मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा लिए गए एक विशेष दृष्टिकोण में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए, जो कि उचित भी था, जैसा कि उच्च न्यायालय द्वारा किया गया है। इस बात पर जोर दिया गया कि विचाराधीन अनुबंध वस्तु दर अनुबंध था और बिटुमेन घटक के समायोजन के लिए प्रदान किए गए सूत्र में पी. बी. (यानी काम के बिटुमेन घटक का प्रतिशत) का एकमात्र तरीका वर्तमान दर पर उक्त पी. बी. की गणना करना था। अन्यथा, किए गए काम का एक यथार्थवादी आंकड़ा नहीं होगा। मध्यस्थ न्यायाधिकरण की बहुमत राय को पढ़कर, यह प्रस्तुत किया गया कि लिया गया दृष्टिकोण सही था जिसमें

न्यायाधिकरण ने निम्नलिखित टिप्पणी की हैः

" 'बिटुमेन की लागत का वास्तविक प्रतिशत' शब्दों का एक सादा पाठ मन को यह बताता है कि किसी विशेष महीने में किसी काम को करने के लिए उपयोग किए जाने वाले बिटुमेन, सीमेंट या स्टील की लागत के आधार पर वास्तविक प्रतिशत का हिसाब रखा जाएगा। ये शब्द, दूरस्थ विचार से भी, पाठक के दिमाग को बिटुमेन की कीमत पर नहीं ले जाते हैं जैसा कि प्रस्तुत करने के समय प्रचलित था।

1 1 (2006) 4 एस. सी. सी. 445

2 (2015) 3 एससीसी 49

3 (2010) 8 एस. सी. सी. 701 भारत का राष्ट्रीय उच्च प्राधिकरण v. एम/एस। प्रोग्रेसिवेमवर (जेवी) [ए. के. सिकरी, जे.]

बोली लगाएँ। यदि अनुबंध का इरादा सीमेंट, इस्पात और बिटुमेन की आधार दरों या बोली जमा करने के समय प्रचलित दरों के लिए होता, तो इसका विशेष रूप से उल्लेख किया जाता। इतना ही नहीं होता

यह भी उल्लेख किया गया है कि ये दरें निविदा में स्पष्ट रूप से निर्धारित की गई होंगी, क्योंकि इन्हें अनुबंध को अंतिम रूप देने के बाद पक्षों द्वारा निर्धारित करने के लिए नहीं छोड़ा जा सकता था।

यह भी प्रस्तुत किया गया था कि न्यायाधिकरण ने अनुबंध में इस खंड की उपरोक्त व्याख्या करते हुए न केवल उपयोग किए गए शब्द लेकिन ऐसे खंड के पीछे पक्षों के इरादे से भी, जैसा कि पुरस्कार में विस्तार से चर्चा की गई है।

23. श्री गुरुकृष्ण ने उस मामले में विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश को विस्तार से पढ़ा जिसमें वे प्रतिनिधित्व कर रहे हैं (2018 की दीवानी अपील संख्या 459) और (2015) 1 मध्यस्थ विधि रिपोर्टर 129 के रूप में रिपोर्ट किया गया है, जिसे खंड पीठ ने विवादित फैसले में बरकरार रखा था। उन्होंने एसोसिएट बिल्डर्स के मामले में फैसले के पैरा 27 पर भी भरोसा किया जो इस प्रकार हैः

" 27. सॉ पाइप्स [(2003) 5 एस. सी. सी. 705 में निहित प्रत्येक शीर्ष पर आते हैंः ए. आई. आर. 2003 एस. सी. 2629] फैसला, हम पहले सौदा करेंगे "भारतीय कानून की मौलिक नीति" शीर्षक के साथ। इसे पहले ही रेनुसागर [रेनुसागर पावर कंपनी] से देखा जा चुका है।

लिमिटेड वी. जनरल इलेक्ट्रिक कं., 1994 सप्लीमेंट (1) एस. सी. सी. 644] निर्णय कि विदेशी मुद्रा अधिनियम का उल्लंघन और आदेशों की अवहेलना

भारत में उच्च न्यायालयों को भारतीय कानून की मौलिक नीति के विपरीत माना जाएगा। इसमें यह जोड़ा जा सकता है कि किसी उच्च न्यायालय के फैसले की अवहेलना का बाध्यकारी प्रभाव भारतीय कानून की मौलिक नीति का समान रूप से उल्लंघन होगा।

24. श्री ध्रुव मेहता, जो 2018 की सिविल अपील संख्या 460 में पेश हुए, ने प्रस्तुत किया कि जहां तक उनके मुवक्किल के मामले का संबंध है। एम/एस। एन. सी. सी.-वी. ई. ई. (जे. वी.), पहले दौर में, एस. एल. पी. को विशेष रूप से खारिज कर दिया गया है और पुरस्कार के अनुसार, ठेकेदारों को भुगतान किया गया था। इसलिए, बाद की अवधि के लिए भुगतान से इनकार करने का कोई कारण नहीं था जहां

एक बार फिर, पुरस्कार उसके पक्ष में चला गया था और उसके मामले में रोक हटाने का सिद्धांत स्पष्ट रूप से लागू होता है। उन्होंने यह भी कहा कि केवल एक ही संभावित व्याख्या थी और एनएचएआई द्वारा दी गई व्याख्या स्पष्ट रूप से अस्वीकार्य थी। किसी भी मामले में, विद्वान वरिष्ठ वकील, [2018] 2 एस. सी. आर. को प्रस्तुत किया।

संदेह की स्थिति में, लाभ ठेकेदारों को जाना चाहिए। यह था।

मान लिया कि उनके मुवक्किल के मामले में, 21 अंतरिम भुगतान थे

वर्तमान लागत के अनुसार। उन्होंने कुछ निर्णयों का भी उल्लेख किया

उनकी दलीलें जो इस प्रकार हैं:(i) भानु कुमार जैन बनाम। अर्चना कुमार & Anr.4

" 29. "इश्यू एस्टोपेल" और "रेस जुडिकाटा" के बीच अंतर है। (आज वी. देखें। आज [(1964) 1 सभी ईआर 341: (1964)

2 डब्ल्यू. एल. आर. 371: 1964 पी 181 (सीए)]।)

30. रेस जुडिकाटा एक अदालत को अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने से रोकता है

यह निर्धारित करने के लिए कि क्या इसने पक्षों के बीच अंतिमता प्राप्त कर ली है, जबकि सिद्धांत मुद्दे को पार्टी के खिलाफ लागू किया जाता है। यदि उनके खिलाफ इस तरह के मुद्दे का फैसला किया जाता है, तो उन्हें बाद की कार्यवाही में इसे उठाने से रोक दिया जाएगा। का सिद्धांत

रेस जुडिकाटा एक अलग तरह का एस्टोपेल बनाता है। रोक-थाम

सहमति से।

31. इस प्रकृति के मामले में, हालांकि, "मुद्दा" का सिद्धांत

इस्टोपेल "के साथ-साथ" कार्रवाई का कारण इस्टोपेल "भी उत्पन्न हो सकता है। आज [(1964) 1 में सभी ई. आर. 341: (1964) 2 डब्ल्यू. एल. आर. 371: 1964 पी.

181 (सी. ए.)] लॉर्ड डिप्लॉक ने कहाः (सभी ई. आर. पी. 352 बी-डी)

" कार्रवाई का कारण ', वह है जो किसी कार्रवाई के लिए एक पक्ष को दूसरे पक्ष के खिलाफ कार्रवाई के एक विशेष कारण के अस्तित्व पर जोर देने या अस्वीकार करने से रोकता है, जिसका अस्तित्व या अस्तित्व उसी पक्षकारों के बीच पिछले मुकदमे में सक्षम अधिकार क्षेत्र के न्यायालय द्वारा निर्धारित किया गया है। यदि कार्रवाई का कारण निर्धारित किया गया था यानी उस पर निर्णय दिया गया था, तो कहा जाता है कि इसे निर्णय में मिला दिया गया था। यदि यह निर्धारित किया गया था कि इसका अस्तित्व नहीं है, तो असफल वादी अब यह दावा नहीं कर सकता है कि यह करता है; उन्होंने

न्यायिक प्रक्रिया के अनुसार अलग किया जाता है। " [एड। : बाकी का अर्क

आज से [(1964) 1 सभी ई. आर. 341: (1964) 2 डब्ल्यू. एल. आर. 371: 1964 पी 181 (सीए)] को उपयोगी रूप से संदर्भित किया जा सकता है (सभी ईआर पी। 352 , बी-एफ) "एस्टोपेल पर रेम जुडिकटम एक सामान्य शब्द है जिसमें आधुनिक कानून में दो प्रजातियां शामिल हैं। पहली प्रजाति,

'कार्रवाई का कारण', वह है जो किसी कार्रवाई के लिए एक पक्ष को दूसरे पक्ष के खिलाफ, कार्रवाई के एक विशेष कारण के अस्तित्व पर जोर देने या इनकार करने से रोकता है,

एस. सी. सी. 787 भारत का राष्ट्रीय उच्च प्राधिकरण v. एम/एस। प्रोग्रेसिवेमवर (जेवी) [ए. के. सिकरी, जे.]

अर्थ। दूसरी प्रजाति, 'इश्यू एस्टोपेल', सार्वजनिक नीति के उसी नियम का विस्तार है। कार्रवाई के कई कारण हैं जिन्हें केवल यह साबित करके स्थापित किया जा सकता है कि दो या दो से अधिक अलग-अलग शर्तें पूरी होती हैं। कार्रवाई के ऐसे कारणों में पक्षों के बीच उतने ही अलग-अलग मुद्दे शामिल होते हैं जितना कि वादी द्वारा अपनी कार्रवाई के कारण को स्थापित करने के लिए शर्तों को पूरा करना होता है; और हो सकता है ऐसे मामले जहां एक समान शर्त की पूर्ति कार्रवाई के दो या दो से अधिक अलग-अलग कारणों के लिए एक सामान्य आवश्यकता है। यदि कार्रवाई के ऐसे किसी कारण पर मुकदमेबाजी में ऐसे किसी भी अलग मुद्दे पर कि क्या किसी विशेष शर्त को पूरा किया गया है, सक्षम अधिकार क्षेत्र के न्यायालय द्वारा निर्धारित किया जाता है,

या तो साक्ष्य पर या मुकदमे में किसी पक्ष द्वारा स्वीकार किए जाने पर,

कोई भी पक्ष, उनके बीच बाद के मुकदमे में कार्रवाई के किसी भी कारण पर नहीं कर सकता है जो कार्रवाई की पूर्ति पर निर्भर करता है। समान शर्त , यह दावा करते हुए कि शर्त पूरी की गई थी यदि अदालत ने पहले मुकदमे में यह निर्धारित किया है कि यह नहीं था, या इस बात से इनकार करता है कि यह पूरा किया गया था यदि अदालत ने पहले मुकदमे में निर्धारित किया कि यह था।]

समान मुद्दे उठाए जाते हैं, जिस स्थिति में, बाद की कार्यवाही समान पक्षों के बीच वैसा ही व्यवहार किया जाएगा जैसा पिछली कार्यवाहियों में किया गया था। ऐसी स्थिति में तय किए गए सभी अंकों के संबंध में बार निरपेक्ष होता है, सिवाय इसके कि

धोखाधड़ी और मिलीभगत का आरोप। [सी. (ए माइनर) वी. देखें।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

लंदन बरो काउंसिल [(1996) 1 सभी ई. आर. 973: (1996) 1

डब्ल्यूएलआर 789 (सीए)]। ”

ii) गोधरा इलेक्ट्रिसिटी कंपनी लिमिटेड और ए. एन. आर. वी. गुजरात राज्य & Anr.[3]

" 11. किसी अनुबंध की शर्तों की व्याख्या की प्रक्रिया में,

अदालत को अक्सर बड़ी सहायता मिल सकती है

स्वयं या पक्षकारों द्वारा दिए गए बयानों की व्याख्या करना

पक्षों द्वारा अनुबंध के पुनर्निर्माण के रूप में माना जाता है और न ही अदालतें इसे ऐसा मानती हैं। इसके बजाय, यह केवल पक्षों द्वारा उस अर्थ की एक और अभिव्यक्ति है जो वे देते हैं और पहले किए गए अपने अनुबंध की शर्तों को दिया है। ऐसा कोई उचित कारण नहीं है कि अदालतों को पक्षकारों द्वारा इन आगे की अभिव्यक्तियों को अधिक महत्व नहीं देना चाहिए, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि उनके पास अभी भी अनुबंध की वही स्वतंत्रता है जो उनके पास मूल रूप से थी। अमेरिकी न्यायालय व्याख्या में स्वीकार्य मार्गदर्शक के रूप में बाद के कार्य प्राप्त करते हैं। यह सच है कि एक पक्ष अपने पक्ष में व्याख्या करके अपने मामले का निर्माण नहीं कर सकता है। यह वह है इसमें सहमति कि ऐसा पक्ष दूसरे पक्ष के खिलाफ उपयोग कर सकता है। यह सहमति दूसरे पक्ष की स्पष्ट सहमति से, उसके अनुसार उसके कार्य करने से, उसे इंगित करने वाले प्रदर्शनों की आपत्ति के बिना उसकी रसीद से, या जब वह जानता है कि पहला पक्ष है तो कुछ नहीं कहने से हो सकती है।

व्याख्या पर निर्भरता पर कार्य करना (कॉर्बिन को देखें)

कॉन्ट्रैक्ट्स, वॉल्यूम। 3 , पीपी। 249 & 254-56) .

XXX

XXX

XXX

18. इन परिस्थितियों में, हमें नहीं लगता कि हम उचित होंगे

अब्दुल्ला में इस न्यायालय के फैसले का पालन नहीं करने में

अहमद बनाम। अनिमेंद्र किसेन मित्तर [ए. आई. आर 1950 एस. सी. 15: 1950 एस. सी. आर. 30,46] जहाँ इस न्यायालय ने कहा कि किसी लिखत के प्रभाव को निर्धारित करने के लिए बाहरी साक्ष्य की अनुमति है जहाँ

इसके सही अर्थ के बारे में संदेह बना हुआ है और इसके तहत किए गए कार्यों का साक्ष्य पक्षों के इरादे के लिए एक मार्गदर्शक है, विशेष रूप से, जब कार्य समझौते की तारीख के तुरंत बाद किए जाते हैं।

यंत्र "।

एस. सी. सी. 199 भारत का राष्ट्रीय उच्च प्राधिकरण v. एम/एस। प्रोग्रेसिववर (जेवी) [ए. के. सिकरी, जे.]

(iii) बैंक ऑफ इंडिया और ए. एन. आर. वी. के. मोहनदास और Ors.6

" 32. मूल स्थिति यह है कि यह बैंक हैं जो अनुबंध में शर्तों के निर्माण के लिए जिम्मेदार थे।

योजना कि उस योजना के तहत स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के इच्छुक व्यक्ति पेंशन के तहत पेंशन के पात्र होंगे

विनियम, 1995, और इसलिए, वे स्पष्टता की कमी, यदि कोई हो, का जोखिम उठाते हैं। यह एक अनुबंध के निर्माण का एक सर्वविदित सिद्धांत है कि यदि एक पक्ष द्वारा लागू की गई शर्तें स्पष्ट नहीं हैं, तो उस पक्ष के खिलाफ एक व्याख्या को प्राथमिकता दी जाती है।

फोर्टियस एक्सेपिएंटुर कॉन्ट्रा प्रोफेरेंटम) "।

25. हमने पक्षों के वकील की संबंधित दलीलों पर गंभीरता से विचार किया है। पहला और सबसे महत्वपूर्ण पहलू जिस बात को ध्यान में रखा जाना चाहिए वह यह है कि मुद्दा मूल्य समायोजन से संबंधित है और इस तरह का समायोजन अनुबंध में उपयोग किए जाने वाले विभिन्न घटकों के संबंध में किया जा सकता है। संविदात्मक प्रावधान विशेष रूप से

श्रम घटक, सीमेंट, इस्पात आदि के लिए समायोजन से संबंधित कार्य। ये घटक संख्या में सात हैं जो बाजार की स्थितियों के आधार पर अनुबंध की अवधि के दौरान मूल्य समायोजन से गुजर सकते हैं, अर्थात् समय-समय पर इन घटकों की बाजार कीमतों में वृद्धि या कमी। इस मूल्य समायोजन की प्रकृति से पता चलता है कि इस तरह के बदलाव की उस कीमत के साथ प्रासंगिकता होगी जो सफल ठेकेदार द्वारा निविदा जमा करने के समय इन घटकों के संबंध में इंगित की गई थी और उस अर्थ में, इसका संदर्भ केवल आधार मूल्य के लिए हो सकता है। मूल्य समायोजन के लिए जो सूत्र प्रदान किया गया है, उसकी इस रंग में जांच की जानी चाहिए।

26. उपरोक्त परिस्थितियों में, एनएचएआई के प्रस्तुत करने में कुछ बल प्रतीत होता है कि सूत्र आधार मूल्य को इंगित करता है जो

मूल्य समायोजन के उद्देश्यों के लिए लिया जाना चाहिए। आखिरकार, मूल्य समायोजन देने का क्या उद्देश्य है? मूल्य समायोजन से संबंधित खंड इंगित करता है कि कुछ घटक जो परियोजनाओं के निष्पादन में जाते हैं जैसे श्रम घटक, सीमेंट

जहां तक उनकी कीमत का संबंध है, घटक, इस्पात घटक, संयंत्र और मशीनरी और पुर्जों के घटक, बिटुमेन घटक आदि स्थिर नहीं रह सकते हैं। ऐसी संभावना है कि जिस तारीख से ठेकेदार द्वारा अपनी बोली में इन घटकों की कीमत उद्धृत की गई थी, अनुबंध के निष्पादन के दौरान समय-समय पर उक्त कीमत में वृद्धि या कमी हो सकती है। यह इस कारण से है, मूल्य से संबंधित खंड 6 (2009) 5 एससीसी 313 [2018] 2 एस. सी. आर.

समायोजन प्रदान किया जाता है ताकि ठेकेदार को लागत में वृद्धि या गिरावट को प्रभावी बनाया जा सके। अनुबंध के निष्पादन के समय लागत का निर्धारण करने के लिए इस समायोजन सूत्र का प्रावधान किया गया है। स्वाभाविक रूप से जिस समायोजन पर पहुंचना है, वह ठेकेदार द्वारा बताए गए आधार मूल्य की तुलना में होना चाहिए। इस प्रकार, सामान्य दृष्टिकोण से भी, यह आधार मूल्य है जिसे मूल्य समायोजन करते समय ध्यान में रखा जाना चाहिए। हालाँकि, हम इस सामान्य ज्ञान के दृष्टिकोण पर अपना निर्णय नहीं ले रहे हैं क्योंकि अंतिम परिणाम अनुबंध में प्रदान किए गए सूत्र पर निर्भर करता है; एक संविदात्मक अवधि होने के नाते।

27. वर्तमान मामले में, हम पाते हैं कि सूत्र में इरादा

मूल्य समायोजन पर पहुँचते समय आधार लागत को भी ध्यान में रखना है। ऐसे कुछ कारण हैं जो हमें यह राय लेने के लिए प्रेरित करते हैं।

28. खंड 70.3 (xi) विभिन्न घटकों पर प्रतिशत से संबंधित है।

यह मूल्य समायोजन को नियंत्रित करेगा। जहां तक श्रम, संयंत्र और मशीनरी और पुर्जों और पी. ओ. एल. (पेट्रोल, तेल और स्नेहक) का संबंध है, एक निश्चित प्रतिशत निर्धारित है, अर्थात क्रमशः 20 प्रतिशत, 20 प्रतिशत और 10 प्रतिशत। हालांकि, अन्य तीन घटकों के संबंध में, अर्थात् बिटुमेन, सीमेंट और स्टील परिवर्तनीय प्रतिशत का उल्लेख किया गया है जिसकी गणना की जानी है। सातवां घटक 'अन्य सामग्री' है। यहाँ तक कि जैसा कि इस घटक का संबंध है, यह शेष प्रतिशत है, बिटुमेन, सीमेंट और स्टील के प्रतिशत के बाद, जैसा कि इसमें "50-(x + y + z)" प्रतिशत का उल्लेख है। इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि आम तौर पर x, y और z का संयुक्त प्रतिशत 50 प्रतिशत से कम होना चाहिए। हालांकि, जब काम करते समय वर्तमान लागत को ध्यान में रखा जाता है

अन्य सामग्रियों का प्रतिशत नकारात्मक में बनाएँ। इस तरह के नकारात्मक पहलू से बचना होगा। श्री पटवालिया, विद्वान वरिष्ठ वकील एनएचएआई विभिन्न जीवंत उदाहरण देकर इसे सफलतापूर्वक प्रदर्शित करने में सक्षम रहा।

29. हम यह इंगित कर सकते हैं कि उत्तरदाताओं के लिए विद्वान वकील की प्रस्तुति यह थी कि जब ऐसी घटना होती है, तो "अन्य सामग्रियों" का समायोजन नकारात्मक हो सकता है, यानी समायोजन देने में अन्य सामग्री की कीमत को कम करके ताकि कुल 100% बना रहे। इस सुझाए गए तरीके को स्वीकार करना मुश्किल है। महत्वपूर्ण बात यह है कि जहां तक अन्य सामग्रियों का संबंध है, बिटुमेन, सीमेंट और इस्पात की तुलना में इसके निवेश नगण्य होंगे और इसलिए, भले ही नकारात्मक तत्वों की भरपाई के लिए उनकी कीमत कम कर दी जाए, यह उस लाभ से काफी कम होगा जो भारत की उच्च राष्ट्रीय उच्च प्राधिकरण देने से ठेकेदारों को प्राप्त होगा।

एम/एस। प्रोग्रेसिवेमवर (जेवी) [ए. के. सिकरी, जे.]

उपरोक्त तीन घटकों के लिए लागत समायोजन। इसके अलावा, इस तरह के परिणाम को "अन्य सामग्री" की कीमत में नकारात्मक समायोजन देकर स्वीकार नहीं किया जा सकता है, भले ही वास्तव में, अन्य सामग्री की कीमतें भी बढ़ गई हों। बिछाने के दौरान यह इरादा नहीं हो सकता था

सूत्र नीचे। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, सी. ओ. पी. ए. के उपखंड 703 (xi) के तहत नोट में "वास्तविक" शब्द प्रतिशत से संबंधित है न कि लागत से। प्रतिशत x, y, z का उल्लेख यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया है कि ठेकेदार को प्रत्येक आई. पी. सी. में उपयोग की जाने वाली वास्तविक सामग्री पर वास्तविक रूप से मुआवजा दिया जाए।

इसलिए, मूल्य समायोजन पर काम करते समय सामग्री की आधार लागत को अपनाना अधिक तार्किक और उचित लगता है।

30. हम यहां उल्लेख कर सकते हैं कि जब विवाद उठाया गया था, अनुबंध में निहित प्रावधानों के अनुसार, पहली बार में, इसे विवाद समीक्षा बोर्ड (डी. आर. बी.) को भेजा गया था, जिसने इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की और अन्य बातों के साथ-साथ इस मुद्दे पर निम्नलिखित तरीके से चर्चा कीः

..... घ) वर्तमान विवाद यह है कि सामग्री की दर क्या है।

उस महीने के आई. पी. सी. में काम में उपयोग की जाने वाली संबंधित सामग्री की लागत के वास्तविक प्रतिशत पर पहुंचने के लिए बिटुमेन, सीमेंट और स्टील पर विचार किया जाना चाहिए। ठेकेदार की दलील है कि यह उस महीने में खपत की गई सामग्री की वर्तमान सामग्री लागत होनी चाहिए, जबकि नियोक्ता का विचार है कि यह आधार होना चाहिए।

बोली जमा करने की अंतिम तिथि "। इसके अलावा, बिटुमेन के मूल्य समायोजन के लिए उपखंड 70.3 (v)

कार्य का घटक निम्नानुसार हैः

$$V2 = 0.85 \times P \times R1 \times (B1-Bg)$$

बो।

100

आई. ओ. सी. रिफाइनरी मथुरा में बिटुमेन का आधिकारिक खुदरा मूल्य बोलियां जमा करने की तारीख से 28 दिन पहले। जाहिर है, यह बिटुमेन का प्रारंभिक मूल्य या आधार मूल्य है। सभी प्रासंगिक [2018] 2 एस. सी. आर.

बी. ओ. का आई. पी. सी. मूल्य ठेकेदार द्वारा खुदरा के रूप में लिया गया है। जमा करने की तारीख से 28 दिन पहले बिटुमेन की कीमत

इस बात की परवाह किए बिना कि वस्तु को निष्पादित किया गया है या नहीं यथार्थवादी नहीं है। अतः इस अनुबंध में, मूल्य समायोजन है -

सामग्री के वास्तविक उपयोग से जुड़ा हुआ है। सीमेंट, स्टील और

बिटुमेन। छ) बी. ओ. क्यू. दरों को सामग्री की लागत के आधार पर उद्धृत किया गया है।

बोली लगाने के समय। इसलिए, वास्तविक रूप से काम करने में

बी. ओ. क्यू. लागत में किसी विशिष्ट सामग्री की लागत का प्रतिशत,

बी. ओ. क्यू. के लिए समान तिथि अवधि के लिए लागू सामग्री की दरें

ज) इन सामग्रियों के लिए भार कारक x, y और z में दो हैं बुनियादी मापदंड अर्थात् उनकी लागत और किए गए काम की लागत। में।

इन सामग्रियों की लागत का वास्तविक प्रतिशत निर्धारित करने का आदेश

किए गए काम की लागत में। जैसा कि किए गए काम की लागत आधार पर आधारित है सामग्री की लागत, इसलिए यह स्वाभाविक है कि इन की लागत

कार्य में शामिल सामग्री की गणना इस पर की जानी चाहिए

खरीद मूल्य उचित नहीं है और शर्तों के खिलाफ जाएगा। और नोट में अनुबंध शब्द 'वास्तविक' की शर्तें

उपखंड 70.3 (xi) 8 सी. ओ. पी. ए. प्रतिशत से संबंधित है न कि

लागत "।

31. इसके बाद डी. ए. बी. ने निम्नलिखित में सूत्र तैयार कियाः

आरः

" प्रावधान नोट के अनुसार x, y, z प्रतिशत पर काम किया जाना है।

उपखंड 70.3 (ix) के नीचे।

इस प्रकार, पी (एक्स, वाई, जेड) प्रतिशत

महीने के दौरान खपत की गई सामग्री की लागत

x

100

||

भारत की आई. पी. सी. राष्ट्रीय उच्च प्राधिकरण v के अनुसार उस महीने में किया गया कार्य। एम/एस। प्रोग्रेसिवेमवर (जेवी) [ए. के. सिकरी, जे.]

महीने के दौरान खपत की गई सामग्री की मात्रा x सामग्री की दर

x 100

=

काम पूरा हो गया।

ठेकेदार ने आधार के आधार पर निविदा में दरों का उल्लेख किया है।

सामग्री और आई. पी. सी. की दरें बी. ओ. क्यू. दरों पर आधारित हैं।

सामग्री की आधार दरों पर ठेकेदार। इसलिए व्यायाम करने के लिए

बिटुमेन, सीमेंट की सामग्री की लागत का वास्तविक प्रतिशत और

महीने के लिए आई. पी. सी. के अनुसार काम के निष्पादन में उपयोग किया जाने वाला इस्पात,

सामग्री की आधार दर का उपयोग केवल प्रावधानों के अनुसार किया जा सकता है

वास्तविक प्रतिशत पर पहुंचने के लिए अनुबंध, अंश और

भाजक आधार दरों पर निर्धारित बी. ओ. क्यू. दरों पर आधारित होता है।

अंश भी आधार दरों पर आधारित होना चाहिए। यही कारण है कि अंश में सामग्री की दर सामग्री की दर पर होनी चाहिए

बोली का समय। यह एक निश्चित दर है और परिवर्तनीय नहीं है जैसा कि दावा किया गया है

ठेकेदार। इस संबंध में अनुबंध का प्रावधान काफी स्पष्ट है। और कोई अस्पष्टता नहीं है।

32. इसने यह भी बताया कि यदि सामग्री की वर्तमान लागत को अपनाया जाता है,

ठेकेदार द्वारा दावा की गई आधार लागत के बजाय, मूल्य समायोजन का भुगतान दो बार किया जाएगा। एक आधार दरों के बजाय वर्तमान दर के उपयोग के कारण प्रतिशत कारक (x, y और z) में वृद्धि के कारण और दूसरा मूल्य समायोजन कारक b1-bo/bo के अनुप्रयोग के कारण। इसने उदाहरण देते हुए यह भी प्रदर्शित किया कि जब आधार दर को अपनाया जाता है, तो मूल्य समायोजन प्रचलित मूल्य के साथ निकटवर्ती था जो कीमत की भरपाई करता था।

वास्तविक रूप से ठेकेदार। दूसरी ओर, वर्तमान दर को अपनाने पर, मूल्य समायोजन की गणना ठेकेदार द्वारा किए गए बिटुमेन की लागत में वृद्धि की राशि का लगभग तीन गुना थी।

33. हम उपरोक्त किए गए विश्लेषण से पूरी तरह सहमत हैं।

डी. आर. बी. द्वारा बाहर।

34. जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, बहुमत पुरस्कार ने माना है कि

पक्षों का इरादा वर्तमान लागत को ध्यान में रखना था। इस उद्देश्य के लिए इसने आई. पी. सी. भुगतान के तरीके को ध्यान में रखा था। हालाँकि, हम यहाँ पाते हैं, हालाँकि दुर्भाग्य से, कि कोई सुसंगत अभ्यास नहीं था। कभी भुगतान वर्तमान लागत के आधार पर किया जाता था और कभी-कभी

आधार लागत। हो सकता है कि अलग-अलग अधिकारियों ने सूत्र को अलग तरीके से समझा हो जिसके परिणामस्वरूप उपरोक्त विविध दृष्टिकोण सामने आया हो। हालाँकि, जब यह उचित [2018] 2 एस. सी. आर. में अधिकारियों की जानकारी में आया।

आई. पी. सी. को केवल ध्यान में रखते हुए पारित करने के निर्देश दिए गए थे

टी. इसलिए, पक्षों की ऐसी कोई मंशा नहीं समझी जा सकती है,

बहुमत पुरस्कार का आधार बन गया। दूसरी ओर, जैसे कि

लिसेन्टिंग पुरस्कार से संबंधित है कि उसने ठेकेदारों के तर्क को स्वीकार किए जाने पर उत्पन्न होने वाली खामियों को निम्नलिखित में इंगित किया हैः

आरः

" 13. अब हम आई. पी. सी.-12 की जांच करने के लिए आगे बढ़ते हैं। नवंबर और दिसंबर, 2008 में खामियों को उजागर करने के लिए

दावेदार द्वारा दिए गए तर्क/तर्कसंगत। नीचे दी गई तालिका

सीमेंट, स्टील, बिटुमेन के प्रतिशत का मूल विवरण दिया गया है

और अन्य सामग्री जो पार्टियों द्वारा स्वीकार की गई है और इंजीनियर प्रतिशत द्वारा प्रमाणित आधार पर आधारित हैं

बोली जमा करने की अंतिम तिथि से 28 दिन पहले कीमतें।

आई. पी. सी-12

महीना सीमेंट स्टील बिटुमेन अन्य सामग्री

कुल

(a) नवंबर 2008 5.14% 5.22% 15.81% 23.83%

50 %
50 %

(ख) डिसे 2008 2.06% 2.44% 14.53% 30.96%

दावेदार द्वारा अब अपनाई गई विधि में, उनके हिस्से के रूप में दावा करें, उपरोक्त विवरण नीचे दिए गए अनुसार बदल जाते हैं।

आई. पी. सी-12

महीना सीमेंट स्टील बिटुमेन अन्य सामग्री कुल

(c) नवंबर 2008 9.52% 10.21% 50.82% (-) 20.55% 50%

(घ) डिसे 2008 3.71% 4.78% 55.35% (-) 13.84% 50%

उपरोक्त विवरण संशोधित दावे पर आधारित हैं जो थे -

जब कार्यवाही चल रही थी तब दावेदार द्वारा प्रस्तुत किया गया।

इन्हें ए. टी. द्वारा धारा 23 (3) के अनुसार स्वीकार किया गया था।

मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996। अपने मूल दावे में दावेदार द्वारा प्रस्तुत, बिटुमेन का प्रतिशत था

यह सुनिश्चित करने के लिए समायोजित किया गया कि पी. बी., पी. सी., पी. एस. की कुल संख्या 50 प्रतिशत से अधिक न हो। और अन्य सामग्री को शून्य बना दिया गया था। यह प्रतिशत बनाया

बिटुमेन काल्पनिक और तथ्यात्मक रूप से गलत है। उनके संशोधित में

और परिणामस्वरूप "अन्य सामग्री" का प्रतिशत किया गया है नकारात्मक बना दिया।

अब, अगर हम मूल्य वृद्धि सूत्र के उद्देश्य पर विचार करते हैं

विभिन्न वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि/गिरावट के लिए किसी भी पक्ष को मुआवजा घटक, किसी विशेष आई. पी. सी. में उपयोग की जाने वाली सभी सामग्री भारत की राष्ट्रीय उच्च प्राधिकरण होनी चाहिए।

एम/एस। प्रोग्रेसिववर (जेवी) [ए. के. सिकरी, जे.]

सूत्र के अधीन, नकारात्मक आंकड़ा इंगित करता है कि यह सामग्री पहले पूरे किए गए कार्यों से निकाली गई है। यह भौतिक है यह तब तक संभव नहीं है जब तक कि ठेकेदार की कीमत पर काम को ध्वस्त करने का आदेश नहीं दिया जाता है और पहले भुगतान नहीं किया जाता है

ठीक हो गया। यह निश्चित रूप से वर्तमान मामला नहीं है। इसके अलावा, यदि लचीले फुटपाथ का काम (जो कि आई. पी. सी.-12 के मामले में बिटुमेन प्रतिशत के रूप में अधिक है) बिटुमेन की खपत वजन के हिसाब से 4 से 5 प्रतिशत तक भिन्न होती है और शेष अन्य सामग्री जैसे कुल आदि है, तो हम सामग्री को नकारात्मक कैसे मान सकते हैं और यदि यह सामग्री कम हो जाती है तो कीमत का क्या होगा। क्या हम ठेकेदार को अतिरिक्त लाभ देंगे क्योंकि प्रतिशत नकारात्मक हो गया है और ठेकेदार को मूल्य भिन्नता में वृद्धि मिलेगी क्योंकि मात्रा नकारात्मक है और कीमत कम हो गई है। इस वजह से

मूल्य भिन्नता अवास्तविक है क्योंकि कीमत कम होने पर ठेकेदार को डेबिट के बजाय क्रेडिट मिलेगा। यह होगा

एक बेतुकी स्थिति।

सूत्र को देखने का एक और तरीका यह है कि श्रम, पी. ओ. एल., संयंत्र/मशीनरी, सीमेंट, इस्पात, बिटुमेन और अन्य सामग्री जैसे घटक प्रत्येक प्रतिशत या आर का हिस्सा हैं जो बी. ओ. क्यू. दरों पर आधारित हैं जो बदले में बोली जमा करने की अंतिम तिथि से 28 दिन पहले आधार लागत पर आधारित हैं। जाहिर है, विभिन्न घटकों का प्रतिशत भी मूल्यों पर आधारित होना चाहिए। बी. ओ. क्यू. दरों के अनुरूप।

यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि दावेदार को कीमत मिल रही है।

सूत्र के तीसरे भाग (बी 1-बी) में वर्तमान दरों के लिए समायोजन जहां बी 1 आई. पी. सी. से 28 दिन पहले की कीमत है और बी 0 बोली जमा करने से 28 दिन पहले की कीमत है। इसलिए, दावेदार को उच्च दरों पर वस्तुओं की खरीद के लिए मुआवजा मिल रहा है जब कीमत बढ़ रही है।

35. हम उपरोक्त दृष्टिकोण में उचित तर्क पाते हैं। इसके परिणामस्वरूप,

घ कि बिटुमेन के समायोजन की गणना के लिए मूल्य समायोजन सूत्र को लागू करते समय, यह आधार दर है जिसे लागू किया जाना है और

ई वर्तमान दर।

36. उपरोक्त निष्कर्ष पर पहुँचने के बाद, अब हमें इसकी आवश्यकता है

इन मामलों के परिणामों की जाँच करें।

37. एक बार जब हम ऊपर बताए गए तरीके से सूत्र की व्याख्या करते हैं, तो निर्धारक परिणाम यह माना जाएगा कि मध्यस्थ न्यायाधिकरण (ओं) सूत्र और [2018] 2 एस. सी. आर. के सही अनुप्रयोग के साथ मामलों का निर्णय नहीं करता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

इसके अलावा ठेकेदारों द्वारा रखे गए बिटुमेन के संबंध में मूल्य समायोजन का दावा सही नहीं था। इसलिए, यह माना जा सकता है कि पुरस्कार संविदात्मक शर्तों के विपरीत हैं। साथ ही, यह परिणाम यह एक दुविधा पैदा करता है क्योंकि इन मामलों में मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने एक विशेष दृष्टिकोण अपनाया है और जब यह एक प्रशंसनीय दृष्टिकोण था, तो अधिनियम की धारा 34 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए न्यायालय की न्यायिक समीक्षा के मापदंडों को ध्यान में रखते हुए, आम तौर पर न्यायालय ऐसे पुरस्कारों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। हालाँकि, जैसा कि पहले ही ऊपर संकेत दिया गया है, ऐसी स्थिति स्वयं मध्यस्थ न्यायाधिकरणों द्वारा दिए गए परस्पर विरोधी पुरस्कारों के कारण उत्पन्न हुई है, जिसने इस न्यायालय को उपरोक्त कारण से आवश्यक मामले में अंतिम दृष्टिकोण लेने के लिए उकसाया है। यदि कोई इस सिद्धांत को ध्यान में रखता है कि वह सिद्धांत को यांत्रिक रूप से लागू करता है अर्थात।

कि एक प्रशंसनीय दृष्टिकोण में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए, तो यह बहुत विसंगत स्थिति का कारण बन सकता है। ऐसी स्थिति में, किसी विशेष मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा ठेकेदार के पक्ष में लिए गए दृष्टिकोण को प्रशंसनीय दृष्टिकोण के रूप में बरकरार रखा जाएगा। इसी तरह, न्यायालय को एनएचएआई के पक्ष में एक विशेष मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा लिए गए दृष्टिकोण को भी एक प्रशंसनीय दृष्टिकोण के रूप में बनाए रखना होगा।

इसलिए, उद्देश्य ऐसी स्थिति से बचना है जिसकी अनुमति नहीं दी जा सकती है क्योंकि इसके परिणामस्वरूप एक ही खंड की व्याख्या करने वाले दोनों प्रकार के मध्यस्थ पुरस्कारों को बरकरार रखा जाएगा, चाहे वे नियोक्ता के पक्ष में जाएं या वे ठेकेदार के पक्ष में जाएं। जब इन विचारों को ध्यान में रखते हुए अभ्यास किया जाता है और इसका परिणाम निर्धारित नहीं किया जाता है, तो न्याय का हित यह भी मांग करेगा कि यह परिणाम लंबित मामलों पर लागू किया जाए, जो अंतिम रूप से प्राप्त नहीं हुए हैं। इसलिए, इन विशिष्ट परिस्थितियों में, हमारा मानना है कि मुद्दे को रोकने का सिद्धांत केवल उन मामलों में लागू होगा जहां मामले अंतिम हो गए हैं और कोई न्यायिक कार्यवाही लंबित नहीं है। वर्तमान सहित उन सभी मामलों में, जहां इस विशेष पहलू पर पुरस्कारों को चुनौती दी जाती है, यह निर्णय परिणाम को नियंत्रित करेगा।

परिणामस्वरूप, इन सभी अपीलों को अनुमति दी जाती है जिससे विवादित निर्णय और मध्यस्थ द्वारा दिए गए निर्णय को भी दरकिनार कर दिया जाता है। बिटुमेन के मूल्य समायोजन से संबंधित दावे पर न्यायाधिकरण। हालाँकि, लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

अपीलों की अनुमति दी गई।

दिव्या पांडे